राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 40(63)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–सा./पार्ट–II/2015 जयपुर, दिनांक : 03 JUL 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य "अपना खेत अपना काम" हेतु प्रति जॉबकार्डधारी परिवार हेतु वित्तीय सीमा बढाने बाबत।**

संदर्भः– **विभागीय पत्रांक एफ 40 (35) ग्रावि/नरेगा/व्य.ला.का./2011 दिनांक 04.05.2011/27.05.2011 एवं दिनांक 04.03.2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 04.05.2011 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य "अपना खेत अपना काम" के कार्यों की वित्तीय सीमा प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार के लिए राशि रू. 1.50 लाख निर्धारित की गयी थी, जिसे संदर्भित पत्र दिनांक 04.03.2014 द्वारा राशि रू. 1.50 लाख से बढाकर राशि रू. 2.00 लाख किया गया।

अकुशल श्रमिक दरों में वृद्वि के फलस्वरूप अब योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों हेतु प्रति जॉबकार्डधारी परिवार के लिए वित्तीय सीमा राशि रू. 2.00 लाख से बढाकर राशि रू. 3.00 लाख (रू. तीन लाख) की जाती है। इस राशि में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के लिए देय 90 अकुशल श्रमिक की राशि एवं पशु आश्रय/बकरी आश्रय/सुकर आश्रय/कुक्कुट आश्रय के लिए देय राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस अनुमत सीमा में सामग्री मद पर अधिकतम राशि रू. एक लाख बीस हजार का व्यय अनुमत होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें। शेष शर्ते पूर्ववत रहेगीं।

भवदीय
03/7/15
(के.सी.मीना)
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/कृषि/राजस्व विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त कृषि विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
8. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
10. निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, उद्यान विभाग, कृषि भवन, जयपुर।
12. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, ईजीएस जिला परिषद समस्त।
13. आचार्य ग्राम सेवक/पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर) अजमेर, डूंगरपुर।
14. परियोजना निदेशक, एम पॉवर परियोजना, जोधपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
17. एमआईएस मैनेजर ईजीएस, जिला परिषद व पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
18. श्री रिंकू एमआईएस मैनेजर ईजीएस, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

03/7/15